न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या–191/2025
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2025/231

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
राकेश पुत्र श्री जयनारायण जाति माली निवासी बास, बाईसर ताउसर तहसील व जिला नागौर राजस्थान।		1. जयनारायण पुत्र श्री भागीरथ जाति माली 2. जगदीश पुत्र श्री भागीरथ जाति माली निवासीगण बाईसर बास ताउसर तहसील व जिला नागौर राजस्थान । 3. श्रीमति शारदा पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण माली निवासी 341–ख आवासन मण्डल नागौर तहसील व जिला नागौर राजस्थान। 4. सुरेश पुत्र श्री जयनारायण जाति माली 5. सुनिल पुत्र श्री जयनारायण जाति माली 6. सचिन पुत्र श्री जयनारायण जाति माली निवासीगण बाईसर बास ताउसर तहसील व जिला नागौर राजस्थान। 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मूंण्डवा। 8. उपपंजीयक मूण्डवा ।

उपस्थित अधिवक्ता :–

1–अपीलांट की ओर से वकील श्री मधुर सिखवाल।
2–रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3, 5 एवं 6 की ओर वकील श्री अशोक कुमार वैष्णव।
3–रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से वकील श्री पवन वैष्णव ।
4–रेस्पोडन्ट संख्या 7 व 8 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

अपील अधीन धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक :– 03.06.2026

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार, मूण्डवा द्वारा म्यूटेशन संख्या 2680 बाबत् खसरा नम्बर 1640/6 वाके मौजा फिड़ौद स्वतः स्वीकृत दिनांक 23.09.2025 से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.12.2025 को प्रस्तुत की गई वकील अपीलांट ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय शपथ–पत्र पेश किया है। अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का असल रिकार्ड तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3, 5 व 6 की ओर से वकील श्री अशोक कुमार वैष्णव तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से वकील श्री पवन वैष्णव एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 की ओर राजपैरोकार उपस्थित हुवे।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

वकील उभय पक्ष की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट का बहस में कथन है कि खसरा नम्बर 1640/6 के विक्रय पत्र के आधार पर स्वतः म्यूटेशन प्रविष्टि क्रमांक/2680 दिनांक 23.09.2025 को राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के नाम दर्ज कर दी गई, जिसकी जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं थी, जानकारी के अभाव में समयबद्ध अपील पेश करने में अपीलांट असमर्थ रहा है तथा विलम्ब का उक्त कारण युक्तियुक्त, पर्याप्त, वाजिब व संगत है। इस सम्बन्ध में हमने धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र भी पेश किया है तथा साथ में शपथ–पत्र भी पेश किया है, इसलिए निवेदन है कि अपील अपीलांट अन्दर मियाद मानी जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट श्री अशोक कुमार वैष्णव का कथन है कि अपीलांट को इस म्यूटेशन की जानकारी शुरू से ही थी परन्तु यह अपील जानबुझकर विलम्ब से पेश की है, तथा विलम्ब का पर्याप्त कारण पेश नहीं किया है। मयाद की छूट के लिए अपीलांट को प्रतिदिन का कारण दर्शित करना होता है तथा न्यायालय से विलम्ब माफ करवाना होता है, जो नहीं किया गया है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। कास्तकार ग्रामीण परिवेश के होते है इसलिए उनको कानून की इतनी बारीकीयों की जानकारी नहीं होती है। इसलिए प्रार्थना–पत्र के साथ पेश किये गये शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए अपील अपीलांट अन्दर मयाद सुमार की जाती है।

वकील उभय पक्षकारान की मूल अपील बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट का बहस मे कथन है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 4 से 6 एक ही परिवार के सदस्यगण है तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के जाईन्दा पुत्रगण है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का सगा भाई है तथा सभी स्व0 भागीरथ पुत्र श्री मोहनराम के विधिक वारिसान है। मौजा फिडौद के खेत खसरा नम्बर 1639/7 रकबा 0.0205 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1640/6 रकबा 1.2528 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1637/7 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 4 से 6 के संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी सहदायिकी सम्पति रही है जो साबिका खसरा नम्बर 6 व 7 का भाग रही है। जिसकी खातेदारी पूर्व में अपीलांट के दादा भागीरथ पुत्र श्री मोहनराम व उनके भाईयों के नाम से दर्ज रही तथा उससे पूर्व संवत् 2041 से 2044 तक अपीलांट के परदादा मोहनाराम पुत्र श्री बिजा माली के नाम दर्ज रही है। जो भूमि पुश्तैनी सहदायिकी सम्पति रही है जो बंटवाडा में खसरा नम्बर 1640/6 व 1637/7 अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 के संयुक्त परिवार के हिस्से में आयी तथा खसरा नम्बर 1639/7 अपीलांट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 4 से 6 के संयुक्त परिवार एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के संयुक्त बंट में आयी। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 से 6 के संयुक्त परिवार के कर्ता खानदान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 होने से खेत की खातेदारी उनके नाम दर्ज हुई। विवादित खेताय खसरा नम्बर 1640/6, 1637/7 व 1639/7 मौजा फिड़ौद संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी सहदायिकी सम्पति है तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 से 6 संयुक्त हिन्दू परिवार के सहदायिक सदस्य है तथा हिन्दू है एवं हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से गवर्न होते है तथा भूमि पुश्तैनी सहदायिकी सम्पति होने के कारण धारा 6 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी सहदायिकी सम्पति में प्रत्येक सहदायिक सदस्य का जन्म से हक अधिकार निहित करता है तथा उक्त भूमि में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 से 6 का समान हक अधिकार निहित करता है तथा खेत खसरा नम्बर 1640/6 व 1637/7 मौजा फिडौद में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 से 6 प्रत्येक का 1/5 वां हिस्सा निहित करता है व इतना ही हक अधिकार बनता है तथा खेत खसरा नम्बर 1639/7 मौजा फिडौद में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 से 6

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

प्रत्येक का 1/10 वां हिस्सा निहित करता है एवं उक्त खेत में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/2 वां हिस्सा निहित करता है। इससे अधिक हिस्सा न तो पक्षकार का बनता है व न ही निहित करता है व न ही इससे अधिक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अवैध तरीके से अपने हिस्से से अधिक भूमि का बिना पारिवारिक आवश्यकता के व बिना अधिकार के खेत खसरा नम्बर 1640/6 रकबा 1.2528 हैक्टेयर का विक्रय दिनांक 23.09.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में कर विक्रय पत्र का निष्पादन कर दिया, जो विक्रय पत्र दिनांक 23.09.2025 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 240 में पृष्ठ संख्या 136 के क्रम संख्या 202503464103378 पर उप पंजीयक कार्यालय मूण्डवा के यहां पर पंजीबद्ध है व इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 1637/7 रकबा 0.3237 हैक्टेयर का विक्रय दिनांक 23.09.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को कर विक्रय पत्र का निष्पादन कर दिया जो विक्रय पत्र दिनांक 23.09.2025 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 240 में पृष्ठ संख्या 135 के क्रम संख्या 202503464103377 पर उप पंजीयक कार्यालय मूण्डवा के यहां पंजीबद्ध है। उक्त दोनो विक्रय पत्र अवैध तरीके से बिना अधिकार के अपने हिस्से से अधिक भूमि का करवाया गया होने से अपीलांट के हक अधिकारों के प्रति बातिल बेअसर व शून्य है। वादग्रस्त खेताय खसरा नम्बर 1640/6, 1637/7 व 1639/7 मौजा फिडौद संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी सहदायिकी सहखातेदारी हक अधिकार व सहकब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें अपीलांट का हिन्दू उत्तराधिकारों के प्रावधान अनुसार जन्म से हक अधिकार निहित करता है व अपीलांट का सहखातेदारी हक अधिकार निहित करता है एवं कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अवैध तरीके से उक्त भूमि को अपने हक अधिकार से अधिक बिना अधिकार के भूमि का विक्रय करने पर आमादा है तथा रेकर्ड में इन्द्राज करवाकर उतरोतर अंतरण करने पर आमादा है। जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 ऐसा करने पर उतारू है। खसरा नम्बर 1637/7 के विक्रय पत्र के आधार पर ऑटो म्यूटेशन प्रविष्टि क्रमांक 2679 दिनांक 23.09.2025 को राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम दर्ज कर दी गई है। अपीलांट इससे हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार होने से नामान्तरकरण आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलांट की ओर से यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क है कि नामान्तरकरण आदेश जैर अपील खिलाफ कानूनी तथ्यों, परिस्थितियों, राजस्व रेकर्ड, साक्ष्य व रेकर्ड के विपरीत जाकर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तो की अवहेलना कर पारित किया गया होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि जिस व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही की जाती है उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, वर्तमान प्रकरण में नामान्तरकरण की कार्यवाही जो लेख्यपत्र के आधार पर की गई है, में प्रभावित हितबद्ध व काबिज व्यक्तियों को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया, इस कारण से भी नामान्तरकरण आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क है उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया में कभी भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट मौके की तैयार नहीं की गई, न ही नामान्तरकरण संख्या 2680 भरते समय, न ही अन्य किसी समय। अगर मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट बनाई होती तो सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी का खुलासा हो जाता एवं अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 से 6 के संयुक्त कब्जे की जानकारी हो जाती एवं नामान्तरकरण प्रक्रिया में इस तथ्य का उल्लेख हो जाता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम गलत खातेदारी इन्द्राज की आड़ में लेख्यपत्र निष्पादित किया गया व उसके आधार पर नामान्तरकरण प्रक्रिया की कार्यवाही की गई, जो नामान्तरकरण आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

राजस्व कर्मचारियों का यह विधिक दायित्व था कि नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय सम्पूर्ण जांच करनी चाहिए थी एवं अपीलांट से भी पूछताछ एवं बयान कर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, मगर ऐसा नही कर नामान्तरकरण कार्यवाही कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना करते हुए बड़ी भारी कानूनी भूल की है। नामान्तरकरण जैर अपील में अन्तर्ग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की अविभाजित भूमि है, जिसके प्रत्येक इंच भू भाग पर सहदायिक प्रत्येक सदस्य का कब्जा निर्विवाद रूप से कानूनन निहित रहता चला आया है, जो अपीलांट के कब्जे स्वामित्व की पुश्तैनी भूमि रही है, फिर भी इन तथ्यों को नजरअंदाज कर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत करते समय महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया गया, उनका लोप विधि विरूद्ध ढंग से किया गया तथा मिलावटी रूप से तथ्यों से विज्ञ होते हुए भी अधिकारातीत रूप से म्यूटेशन जैर अपील स्वीकृत किया गया है, जो इस आधार पर ही अपास्त किये जाने योग्य है क्योंकि विधि के विपरीत आचरण को विधि अनुज्ञापित ही नहीं करती।

राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण की स्वीकृती देकर व तब्दीली कर अपीलांट के हितों के विपरीत कृत्य रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 ने आपसी मिलावट व षडयंत्र के तहत किया, जिससे अपीलांट को ऐसी भारी अपूर्णिय क्षति हुई व होती रही है, जिसकी पूर्ति मुद्रा में किया जाना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्तमान लिटिगेशन की उत्पति हेतु भी रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 3 के आपसी मिलावटी व दुरभिसंधि पूर्ण आचरण रहे है। ऐसी दशा में उपर्युक्त वर्णित तथ्यों व परिस्थितियों के रहते नामान्तरकरण जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

वादग्रस्त अचल सम्पति संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी सहखातेदारी हक अधिकार, सहकब्जे काश्त की अविभक्त सम्पति होने व जिसमे अपीलांट का जन्म से हक अधिकार होने व अपीलांट को हक अधिकार से वंचित करने की नियत से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अवैध तरीके से बिना अधिकार के दिनाक 23.09.2025 को विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाने व जिनके आधार पर दर्ज खातेदारी इन्द्राज के आधार पर रेस्पोडेन्ट भूमि को आगे अंतरित करने व अपीलांट को हक हिस्से से महरूम करने पर आमादा होने पर अपीलांट ने राजस्व रिकार्ड को देखा और सम्पूर्ण स्थिति सर्वप्रथम अपीलांट को पता चलने पर अपीलांट की ओर से राजस्व न्यायालय में पृथक से विभाजन, घोषणा खातेदारी, स्थायी व्यादेश इत्यादि का वाद प्रस्तुत कर दिया है तथा यह नामान्तरकरण निरस्त हेतु यह अपील पेश की है।

अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार (भू.अ.) मूण्डवा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2680 दिनांक 23.09.2025 जो खसरा नम्बर 1640/6 मौजा फिडौद तहसील मूण्डवा जिला नागौर के संबंध में स्वीकृत किया गया को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3, 5 व 6 का बहस के समय यह तर्क था कि विद्वान वकील अपीलांट ने यह कहीं भी नहीं बताया है कि यह नामान्तरकरण विधिविरूद्ध कैसे है। राजस्व रेकार्ड अनुसार खेत खसरा नम्बर 1640/6 रकबा 1.2528 की खातेदारी श्री जयनारायण पुत्र भागीरथ जाति–माली के नाम से दर्ज है तथा इस जमीन पर कास्त व कब्जा भी खातेदार जयनारायण का चला आ रहा है। खातेदार जयनारायण द्वारा अपनी आवश्यकता एवं अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस जमीन का विक्रय श्रीमती शारदा देवी को किया जाकर जमीन की विक्रय राशि प्राप्त की है तथा विक्रय पत्र दिनांक 23.09.2025 को पंजीयन करवाया गया है जो रजिस्टर्ड संख्या 202503464103378 पर पंजीबद्व हुआ है एवं इसी प्रकार खातेदार जयनारायण पुत्र भागीरथ द्वारा खसरा नम्बर 1637/7 रकबा 0.3237 हैक्टेयर का विक्रय श्रीमती शारदा देवी को किये जाने पर विक्रय पत्र दिनांक 23.09.2025 को पंजीबद्ध संख्या 202503464103377 पर किया गया है। इस प्रकार खातेदार

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

जयनारायण द्वारा अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी खातेदारी की कब्जा व कास्त सुदा भूमि का विक्रय किये जाने पर विधिवत दस्तावेज पंजीयन विभाग में पंजीबद्ध हुआ है एवं इसी पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर यह नामान्तरकरण संख्या 2680 दर्ज हुआ है। इस प्रकार इस नामान्तरकरण दर्ज में किसी प्रकार की कोई विधिक बाधा नहीं है। एक रेकार्डडेड खातेदार द्वारा विक्रय पत्र पंजीयन के आधार पर यह नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट ने प्रकरण में भूमि पुस्तैनी होने तथा अपीलांट का इस जमीन में हक हिस्सा होने का अंकन अपील में किया है, जो इस अपील स्तर पर नहीं देखा जाना है। इस संबंध में अपीलांट चाहे तो अलग से राजस्व न्यायालय मे वाद दायर कर अपने हक तय करवा सकता है। यह नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज हुआ है, जिसे इस अपील में चेलेन्ज नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का बहस में कथन है कि भूमि पुस्तैनी एवं हमारे सहखातेदारी की है। बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विक्रय किया गया है, जो विक्रय हमारे अधिकारों के विरूद्ध शून्य होने से तथा इस बेचाननामा के आधार पर स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से नामान्तरकरण खारिज किया जावे।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया नामान्तरकरण जैर अपील पंजीबद्ध बेचाननामा के आधार पर स्वतः स्वीकृत हुआ है, जो सही होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में म्युटेशन जैर अपील दिनांक 23.09.2025 के अनुसार उक्त म्युटेशन रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 23.09.2025 के आधार पर खातेदार जयनारायण पुत्र भागीरथ द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1640/6 मौजा फिड़ौद का शारदा देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण को सम्पूर्ण खातेदारी हक का विक्रय किये जाने पर स्वतः स्वीकृत हुआ है, जो पंजीबद्ध बेचाननामा के आधार पर स्वीकृत हुआ है। विधिवत पंजीबद्ध दस्तावेज की वैद्यता आदि पर विचार करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त नामान्तरकरण एक फिसकल प्रोसिडिंग है जिससे किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकारी प्रोधभूत नहीं होते हैं। जहां तक अपीलांट का यह कथन कि भूमि पुस्तैनी है तथा बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के यह बेचान किया गया है के कथनों के सबंध में अपीलांट को उक्त बेचननामा के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। वैसे भी वकील अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में यह दर्ज किया है कि अपीलांट ने राजस्व न्यायालय में पृथक से विभाजन, घोषणा खातेदारी, स्थायी व्यादेश इत्यादि का वाद प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रकार विधिवत पंजीबद्ध बेचाननामा के आधार पर स्वतः स्वीकृत नामान्तरकरण जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। स्वतः नामान्तरकरण स्वीकृत आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पुनः लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(देवेन्द्र कुमार)
कलक्टर नागौर
जिला कलक्टर, नागौर